

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 7(5) निपसिड/ इन्दौर /प्रशि./आईसीडीएस/16/ 27119


जयपुर, दिनांक: 8-2-18

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), इन्दौर द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2018 से 28 फरवरी, 2018 तक आयोजित "स्वच्छ भारत अभियान पर व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण" में निम्नांकित अधिकारियों को नामांकित कर प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं, की वे विलम्बतन दिनांक 25.02.2018 को सायं अथवा दिनांक 26.02.2018 को प्रातः 9:00 बजे तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), बड़ा बांगड़दा, गोमटगिरि, (एम.पी.एस.ई.बी. पावर हाउस के सामने) हातोद रोड, गांधी नगर, इन्दौर में आवश्यक रूप से उपस्थिति दें।

1. श्रीमती मीनाक्षी वसीटा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आसपुर (डूंगरपुर)
2. श्रीमती रूपवती चरपोटा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाँसवाड़ा शहर
3. श्री राजेश शर्मा बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजसमन्द
4. श्री भुपेश कुमार गर्ग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डौन (करौली)
5. श्री दिनेश चन्द्र मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अनुपगढ़ (गंगानगर)
6. श्री हनुमान प्रसाद गौतम, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर-द्वितीय
7. श्री नागेश गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वैर (भरतपुर)
8. श्रीमती ललिता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ़ (गंगानगर)
9. श्री दुर्गा सिंह उदावत, बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीडवाना (नागौर)
10. श्री सिकराराम चौयल, बाल विकास परियोजना अधिकारी, लूनी (जोधपुर)

प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान उनकी पात्रता अनुसार संस्थान के नियमानुसार किया जायेगा जो कि भारत सरकार के अनुरूप हैं। नियमानुसार रेल किराया/बस किराए (एसी/डीलक्स कोच) की प्रतिपूर्ति टीए बिल के साथ टिकट का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही की जायेगी।



आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ. 7(5) निपसिड/ इन्दौर /प्रशि./आईसीडीएस/17/ 27120-141

जयपुर, दिनांक: 8-2-18

1. डॉ. अनील व्ही. बी. बाबू क्षेत्रीय निदेशक, (प्रभारी) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), बड़ा बांगड़दा, गोमटगिरि, (एम.पी.एस.ई.बी. पावर हाउस के सामने) हातोद रोड, गांधी नगर, इन्दौर - 453112
2. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....
3. संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
4. संबंधित सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।


उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।